न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 31/2019

अपीलांट

1. फतेहसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी फौत के कायम मुकामात–
   1/1 श्री खमाकंवर बेवा फतेहसिंह
   1/2 वासुदेवसिंह पुत्र फतेहसिंह, जातिगण चारण निवासीगण रेन्दडी, तहसील सोजत
   1/3 लाड कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी भारतसिंह, जाति चारण निवासी सोजतसिटी।
   1/4 मुन्नी कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी उमरावदान, जाति चारण निवासी रावडिया।
2. हेतुदान पुत्र श्री रणजीतसिंह फौत के वारिसान–
   2/1 मगनकंवर पत्नी हेतुदान
   2/2 महेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान
   2/3 नरेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान
   2/4 गजेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत, जिला पाली राज.।
3. जयदेवसिंह पुत्र रणजीतसिंह फौत के कायम मुकामात–
   3/1 श्रीमती हीरकंवर पत्नी जयदेवसिंह
   3/2 सुरेन्द्रसिंह
   3/3 दिलीपसिंह
   3/4 रघुनाथसिंह पीसरान जयदेवसिंह, जातियान चारण निवासीगण रेन्दडी
   3/5 आनन्द कंवर पुत्री जयदेवसिंह पत्नी महिपालसिंह, जाति चारण निवासी धाणदा तहसील रानी जिला पाली।
4. शैतानसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति चारण, निवासी रेन्दडी फौत के वारिसान
   4/1 प्रकाशसिंह पुत्र शैतानसिंह
   4/2 अनोप कंवर पत्नी शैतानसिंह
   4/3 कंचन कंवर पुत्री शैतानसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
   4/4 गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह फौत के कायम मुकाम
   4/4/1 अनसूया बेवा गोपालसिंह
   4/4/2 मनीष पुत्र गोपालसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

31 / 2019

फतेहसिंह के का.मु. श्रीमती खमाकंवर वगैरह बनाम सरकार

पेज नंबर 2 / 13

4 / 4 / 3 सुनील पुत्र गोपालसिंह, जाति चारण, निवासी रेन्दडी तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर पाली।
2. तहसीलदार सोजत

पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भत्तनाथ, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 26/10/20

अपीलाण्ट्स की ओर से यह पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 59 / 2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 165 व वर्तमान खसरा नंबर 180 व 295 कुल रकबा 5.1900 हैक्टेर किस्म बारानी द्वितीय के संबध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 59/2013 प्रस्तुत की गई, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा बिना विवेचन किये जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के अपने पिता स्व. श्री रणजीतसिंह का जीवनकाल से ही अर्थात 50 वर्षो से अधिक समय यानि संवत 2012 के पूर्व से शांतिपूर्वक ढंग से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांटगण उक्त भूमि पर हर वर्ष बाजरी, ग्वार, तिल्ली इत्यादि सावणु फसल बोते आये है व प्रतिवर्ष काश्त करते आये है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पांच फुट उंचा धोरा फसल सुरक्षा हेतु लगा रखा है। अपीलांटगण ने हर वर्ष वादग्रस्त भूमि में उन्नत किस्म की खाद का प्रयोग कर भूमि को अत्यधिक उपजाउ बनाया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में राज्य सरकार के नाम काबिल काश्त भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं अपीलांटगण पर जुर्माना लगाकर बेदखली के आदेश पारित किये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा भौतिक रूप से अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी से कभी बेदखल नहीं किया गया एवं न ही काश्त में बाधा व अवरोध पैदा किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाटगण एवं उनके पूर्वजो का सवंत 2012 से पूर्व से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी आराजी पर अपने कब्जे के संबध में अपीलांटगण की ओर से गोपालसिंह, सुरेन्द्रसिंह, फतेहसिंह, डूंगराराम, ढगलाराम, जालमसिंह, मानसिंह, हेतुदान के बयान करवाये गये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय द्वारा उक्त बयानो को नजरअदांज कर जैर अपील निर्णय पारित किये गये। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा इसका कोई खंड नहीं किया गया है न ही इसके विपरित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को गै.मु. गोचर दर्ज होना मानते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है, जबकि खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2019 मे भूमि बारानी द्वितीय साबित है। इसके अतिरिक्त राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2012 एवं अन्य जमाबंदीयो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन गौचर नहीं होकर बारानी द्वितीय है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति एवं कब्जा बाबत पटवारी हल्का आलावास से रिपोर्ट मंगवाई गई, उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के चारो ओर धोरा लगा हुआ होना बताया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वहां पर रूबरू मौतबीरान पूछने पर कब्जा कदीमी से फतेहसिंह वगैरा का ही होना बताया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट पर उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर भी करवाये गये। उक्त मौका रिपोर्ट से वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा पूर्णतया साबित होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय एंव हाजा न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांटगण का कब्जा होने एवं काश्त के संबध में वर्षो से लगातार खसरा परिवर्तनशील एवं खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपित पेश की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय में दौराने साक्ष्य उक्त दस्तावेजो का प्रदर्शित भी करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजो को किसी प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया एवं न ही जैर अपील निर्णय व डिक्री मे इसका कोई उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय एंव हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो एवं बयानो को नजरअंदाज करते हुए बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री का पुर्नर्विलोकन किया जाना कानूनन आवश्यक है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत पुर्नर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 165 व वर्तमान खसरा नंबर 180 व 295 कुल रकबा 5.1900 हैक्टेर किस्म बारानी द्वितीय के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 59/2013 प्रस्तुत की गई, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया। जो कि विधिसम्मत है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजीयात पर निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सरकारी सिवाय चक भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

31/2019
फतेहसिंह के का.मु. श्रीमती खमाकंवर वगैरह बनाम सरकार
पेज नंबर 5/13

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 165 व वर्तमान खसरा नंबर 180 व 295 कुल रकबा 5.1900 हैक्टेर किस्म बारानी द्वितीय के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 59/2013 प्रस्तुत की गई, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी की किस्म गै.मु. गोचर होने का अंकन है। इस संबध में अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष जमाबंदी अंतिम चोसाला आधार संवत 2073 से 2076 प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत खसरा नंबर 180 रकबा 2.5600 की भूमि की किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 295 रकबा 2.6300 भूमि की किस्म बारानी दोयम दर्ज है। अगर वादग्रस्त आराजी की किस्म गै.मु. गोचर होती तो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बारानी दोयम दर्ज नही होती, यह अपने आप में उक्त भूमि के संबध में स्वतः प्रमाणित दस्तावेज है। उक्त किस्म संभवतया लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज होना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा मिलान ग्राम रेन्दडी, जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त 2010 से 2019 ग्राम रेन्दडी, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 2035, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 2034, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 2054, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 2039, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 2035, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 1984, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 1985–86, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 1989 संवत 2050, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 2048 व 2051, फोटो प्रति खसरा परिवर्तनशील संवत 2034 की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजो के अनुसार अपीलांटगण के पूर्वजो का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत खसरा परितर्वनशील से यह स्पश्ट है कि अपीलांट के पूर्वज आरंभ से ही वादग्रस्त आराजी पर काश्तकार के रूप मे काबिज है, किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो एव कर्मचारियेा द्वारा केवल मात्र अपीलांट के पूर्वजो के प्रति दुर्भावाना के कारण राजस्व रेकर्ड मे नाम बतौर खातेदार नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

काश्तकार होने के नाते धारा 19 के तहत अपीलांटगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी के स्वतः खातेदार हो गये थे। इसके अतिरिक्त **गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंहजी कौम चारण उम्र 47 वर्ष, सुरेन्द्रसिंह पुत्र जयदेवसिंह कौम चारण उम्र 41 वर्ष पेशा सरकारी नौकरी निवासी रेन्दडी, वासुदेव पुत्र फतेहसिंह कौम चारण उम्र 37 वर्ष पेशा खेती बाडी निवासी रेन्दडी, डूंगरराम पुत्र हीराजी कौम कलाल उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी रेन्दडी तहसील सोजत, ढगलाराम पुत्र मगाराम कौम मेघवाल उम्र 78 वर्ष पेशा खेती निवासी रेन्दडी तहसील सोजत, जालमसिंह पुत्र मोतीसिंह कौम चारण उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत, मानसिंह पुत्र मुरारीदान कौम चारण उम्र 75 वर्ष पेशा खेती निवासी रेन्दडी, हेतुदान पुत्र रणजीतसिंह कौम चारण, उम्र 72 वर्ष पेशा खेती बाडी निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत जिला पाली** के बयान करवाये गये, उक्त समस्त गवाहो ने अपने लिखित बयानो में सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी की कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 165 जिसके नये खसरा नंबर 180 व 295 जिसका कुल रकबा 5.19 हैक्टेर बाडिया के नाम से जाना जाता है। आया स्थित है उक्त भूमि पर संवत 2012 से अपीलांटगण के पूर्वजो एवं उनके देहान्त के पश्चात अपीलांटगण का कब्जा होना ताईद किया है। इसके अतिरिक्त हर वर्ष बाजरी, ज्वार, तिल्ली इत्यादि की सावणू फसल बोने एवं वादग्रस्त आराजी के चारो ओर लगभग 5 फुट उंचा धोरा लगा होने भी जाहिर किया है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर लाखो रूपये खर्च कर उपजाउ बनाने का अंकन किया है। उक्त बयानो से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वजो का संवत 2012 से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। संवत 2012 या इससे पूर्व जिन काश्तकारो का जिस जोत पर कब्जा कएव काश्त रहा है वे काश्तकार स्वतः ही उस जोत के काश्तकार हो जाते है। इसके अतिरिक्त पटवारी आलावास द्वारा दिनांक 18.03.2011 को वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिपोर्ट तैयार की गई उक्त मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि "ग्राम रेन्दडी के वर्तमान खसरा नंबर 180, 295 रकबा क्रमशः 2.56, 2.63 कुल रकबा 5.19 हैक्टेर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक दर्ज है वर्तमान में उक्त खसरा नंबर के चारो तरफ घोरा लगा हुआ है व रूबरू मौतबरान पूछने पर बताया कि उक्त भूमि पर कदीम से कब्जा फतेहसिंह वगैरह का ही है व वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा फतेहसिंह वगैरा का ही है उपरोक्त फर्द मौका रूबरू मौतबरान मौके पर तैयार की गई का अंकन है। उक्त मौका रिपोर्ट पर उपस्थित मौतबिरानो के हस्ताक्षर है। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी पर कदीमी से अपीलांटगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त होने का अंकन है। इसके अतिरिक्त भूप्रबंध विभाग के जो खसरा [illegible] संवत 2028 के विशेष विवरण के कॉलम संख्या 26 में अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पूर्वज शैतानसिंह, हेतुदान, फतेहसिंह, जयदेवसिंह पि. रणजीतदान कौम चारण सा. देह का काश्तकार होना अंकित है, जिससे यह साबित होता है कि अपीलांट के पूर्वज प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त रहे है, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है। हस्तगत प्रकरण में उक्त दस्तावेजी साक्ष्यो एवं पटवारी हल्का आलावास (राजकीय कर्मचारी) की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पूर्वजो का कदीमी से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अब हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या सेटलमेंट से पूर्व किसी व्यक्ति का किसी आराजी पर कब्जा काश्त हो तो क्या उक्त व्यक्ति को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है अथवा नही ? इस संबध में 1996 आर.आर.डी 232 श्रीमति वैजन्ती और अन्य बनाम मुरलीधर और अन्य, में पेज संख्या 327 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "इस मामले में वादग्रस्त आराजी में से 16 बीघा खाम भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पहले, यानि गिरदावरी सवंत 2009 से 2012 व जमाबंदी एक्सी 8 संवत 2012 में लादू का 16 बीघा खाम भूमि पर उपकृषक की हैसियत से कब्जा था। खातेदारी हको की घोषणा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी/रेस्पोन्डेन्ट के हक में जारी की है, जिसमे कोई कानूनी भूल नहीं की गई है।" इसी प्रकार आर.आर.डी 63 सीताराम बनाम मंगला 1965 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " यदि कोई व्यक्ति धारा 19 की शर्तो व प्रावधानो के अनतर्गत आता है तो उसे खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है।" इसी प्रकार नंदलाल बनाम नाजीम खान 1988 आर.आर.डी 133 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " प्रत्येक व्यक्ति जो दिनांक 15.10.55 को काश्तकार था। या भूमि पर उपकाश्तकार था(चारागााह को छोडकर) दिनांक 05.04.61 को ऐसी भूमि का खातेदार होगा, बशर्ते कि धारा 19 अध्याय 3 के अन्तर्गत दी गई शर्तो को पूरा करता हो, चाहे उसका नाम वार्षिक रजिस्टर में दर्ज हो अथवा नहीं।" इस प्रकार श्री नत्थू बनाम सेवा 1962 आर.आर.डी 239 उदमीराम बनाम रामदेव 1963 आर.आरडी 331 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार उसी व्यक्ति को दिये जा सकते है जिसका नाम भू–अभिलेख में 15.10.55 का बतौर उप कृषक दर्ज है।" इसी प्रकार आर.बी. जे (10) 2003 पेज 205 सरकार बनाम प्रेमशंकर व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि " The Section 19 to the Rajasthan Tenancy Act provides the procedure for acquiring Khatedari rights. Section 19 (1–A) was added to remove the difficulties. This is one of major land

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

reform introduced by the Act to confer Khatedari rights on sub-tenants and tenants of Kasht. The persons falling in this category acquire the Khatedari rights automatically without any step being taken by them. Further in view of the continous possession over the subject land of the wirt petitioners prior the year 1946 and they being sub-tenant on the date of commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 have automatically acquired khatedri rights. इसी प्रकार आर.बी.जे (15) 2008 पेरा नंबर 17 व 21 नेताराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में उक्त कथन की पुष्टि की गई है। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तो से यह स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आराजी पर वर्ष 1955 से पूर्व से काबिज हो तो वह उक्त आराजी का स्वतः खातेदार बना जाता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं पटवारी हल्का आलावास राजकीय कमर्चारी की मौका रिपोर्ट से वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण के पूर्वजो का कदीमी से कब्जा काश्त होना साबित है, जिससे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांटगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी के स्वतः खातेदार हो गये थे एवं खातेदार होने के नाते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। धारा 19(1एए) के अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 31.12.69 को वार्षिक रजिस्टर में खुद काश्त का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट दर्ज है अथवा कोई व्यक्ति जो वार्षिक रजिस्टर में दर्ज नही है, लेकिन खुद काश्त का टिनेन्ट अथवा सब टिनेन्ट है तो उसे खातेदारी अधिकार दे दिए जाएगें। इस संबध में दो वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है। इस तरह धारा 19(2ए) और धारा 19(3) को भी दिनांक 29. 12.79 को संशोधित किया गया है। इस संबध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1987 आर.आर.डी पेज 304, 1988 आर.आर.डी, पेज 585 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के दौरान धारा 19 के तहत आवेदन पेश नहीं करता है, तो वह व्यक्ति धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कभी भी वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपना अनुतोष अर्थात् खातेदारी प्राप्त कर सकता है। अपीलांटगण ने इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यो एवं बयानो को दरकिनार करते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो एवं गवाहो एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। जो न्याय के मूल सिद्धान्तो के विपरित है। न्याय का मूल सिद्धान्त पक्षकारो को राहत पहुचाना है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं पटवारी हल्का (राजकीय कर्मचारी) एवं अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत गवाहो का अवलोकन किये बिना एवं जैर अपील निर्णय व डिक्री में उल्लेख किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है, जो कि न्याय के मूल सिद्धान्तो के विपरित है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 59/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 एवं सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2015 मे पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2013 को अपास्त किया जाता है एवं फतेहसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी फौत के कायम मुकामात श्रीमती खमाकंवर बेवा फतेहसिंह वासुदेवसिंह पुत्र फतेहसिंह, जातिगण चारण निवासीगण रेन्दडी, तहसील सोजत लाड कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी भारतसिंह, जाति चारण निवासी सोजतसिटी मुन्नी कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी उमरावदान, जाति चारण निवासी रावडियाहेतुदान पुत्र श्री रणजीतसिंह फौत के वारिसान मगनकंवर पत्नी हेतुदान महेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान नरेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान गजेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत, जिला पाली राज जयदेवसिंह पुत्र रणजीतसिंह फौत के कायम मुकामात श्रीमती हीरकंवर पत्नी जयदेवसिंह सुरेन्द्रसिंह दिलीपसिंह रघुनाथसिंह पीसरान जयदेवसिंह, जातियान चारण निवासीगण रेन्दडी आनन्द कंवर पुत्री जयदेवसिंह पत्नी महिपालसिंह, जाति चारण निवासी धाणदा तहसील रानी जिला पाली शैतानसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति चारण, निवासी रेन्दडी फौत के वारिसान प्रकाशसिंह पुत्र शैतानसिंह अनोप कंवर पत्नी शैतानसिंह कंचन कंवर पुत्री शैतानसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह फौत के कायम मुकाम अनसूया बेवा गोपालसिंहमनीष पुत्र गोपालसिंह सुनील पुत्र गोपालसिंह, को वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 165 व वर्तमान खसरा नंबर 180 व 295 कुल रकबा 5.1900 हैक्टेर किस्म बारानी द्वितीय का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार अपीलांटगण का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। रेस्पोडेन्टगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अपीलांटगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

31/2019

फतेहसिंह के का.मु. श्रीमती खमाकंवर वगैरह बनाम सरकार

पेज नंबर 10/13

यह निर्णय आज दिनांक 26/10/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

31/2019

फतेहसिंह के का.मु. श्रीमती खमाकंवर वगैरह बनाम सरकार

पेज संख्या 11/13

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 31/2019

अपीलांट

1. फतेहसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी फौत के कायम मुकामात–
   1/1 श्री खमाकंवर बेवा फतेहसिंह
   1/2 वासुदेवसिंह पुत्र फतेहसिंह, जातिगण चारण निवासीगण रेन्दडी, तहसील सोजत
   1/3 लाड कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी भारतसिंह, जाति चारण निवासी सोजतसिटी।
   1/4 मुन्नी कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी उमरावदान, जाति चारण निवासी रावडिया।
2. हेतुदान पुत्र श्री रणजीतसिंह फौत के वारिसान–
   2/1 मगनकंवर पत्नी हेतुदान
   2/2 महेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान
   2/3 नरेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान
   2/4 गजेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत, जिला पाली राज.।
3. जयदेवसिंह पुत्र रणजीतसिंह फौत के कायम मुकामात–
   3/1 श्रीमती हीरकंवर पत्नी जयदेवसिंह
   3/2 सुरेन्द्रसिंह
   3/3 दिलीपसिंह
   3/4 रघुनाथसिंह पीसरान जयदेवसिंह, जातियान चारण निवासीगण रेन्दडी
   3/5 आनन्द कंवर पुत्री जयदेवसिंह पत्नी महिपालसिंह, जाति चारण निवासी धाणदा तहसील रानी जिला पाली।
4. शैतानसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति चारण, निवासी रेन्दडी फौत के वारिसान
   4/1 प्रकाशसिंह पुत्र शैतानसिंह
   4/2 अनोप कंवर पत्नी शैतानसिंह
   4/3 कंचन कंवर पुत्री शैतानसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
   4/4 गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह फौत के कायम मुकाम
   4/4/1 अनसूया बेवा गोपालसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

31/2019

फतेहसिंह के का.मु. श्रीमती खमाकंवर वगैरह बनाम सरकार

पेज संख्या 12/13

4/4/2 मनीष पुत्र गोपालसिंह
4/4/3 सुनील पुत्र गोपालसिंह, जाति चारण, निवासी रेन्दडी तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर पाली।
2. तहसीलदार सोजत

पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भत्तनाथ, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
   राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 59/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 एवं सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2005 पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2013 को अपास्त किया जाता है एवं फतेहसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी फौत के कायम मुकामात श्री मती खमाकंवर बेवा फतेहसिंह वासुदेवसिंह पुत्र फतेहसिंह, जातिगण चारण निवासीगण रेन्दडी, तहसील सोजत लाड कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी भारतसिंह, जाति चारण निवासी सोजतसिटी मुन्नी कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी उमरावदान, जाति चारण निवासी रावडियाहेतुदान पुत्र श्री रणजीतसिंह फौत के वारिसान मगनकंवर पत्नी हेतुदान महेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान नरेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान गजेन्द्रसिंह पुत्र हेतुदान, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत, जिला पाली राज जयदेवसिंह पुत्र रणजीतसिंह फौत के कायम मुकामात श्रीमती हीरकंवर पत्नी जयदेवसिंह सुरेन्द्रसिंह दिलीपसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

31/2019

फतेहसिंह के का.मु. श्रीमती खमाकंवर वगैरह बनाम सरकार

पेज नंबर 13/13

रघुनाथसिंह पीसरान जयदेवसिंह, जातियान चारण निवासीगण रेन्दडी आनन्द कंवर पुत्री जयदेवसिंह पत्नी महिपालसिंह, जाति चारण निवासी धाणदा तहसील रानी जिला पाली शैतानसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति चारण, निवासी रेन्दडी फौत के वारिसान प्रकाशसिंह पुत्र शैतानसिंह अनोप कंवर पत्नी शैतानसिंह कंचन कंवर पुत्री शैतानसिंह, जाति चारण निवासी रेन्दडी, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह फौत के कायम मुकाम अनसूया बेवा गोपालसिंहमनीष पुत्र गोपालसिंह सुनील पुत्र गोपालसिंह, को वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 165 व वर्तमान खसरा नंबर 180 व 295 कुल रकबा 5.1900 हैक्टेर किस्म बारानी द्वितीय का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत का निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार अपीलांटगण का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। रेस्पोडेन्टगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अपीलांटगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे।

यह निर्णय आज दिनांक 26/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली